

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 22/2019 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. कैलाश आत्मज चम्पा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल आत्मज चम्पा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. उदयराम आत्मज चम्पा जाट ना.बा.बे.जरिये माता सोर बेवा चम्पा जाट निवासी शिवनाथपुरा
4. मुकेश आत्मज चम्पा जाट ना.बा.बे.जरिये माता सोर बेवा चम्पा जाट निवासी शिवनाथपुरा
5. सोसर बेवा चम्पा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. डालचन्द आत्मज बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रंगलाल आत्मज हुक्मा कुम्हार निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हीरा आत्मज बालु जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट**

**उपस्थित**

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

**निर्णय**

दिनांक 03.04.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 397 रकबा 0.65 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 10 में अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों ओर सीमाओं के मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को कास्त करने काश्त लाभ प्राप्त करने घास आदी काटने में भारी अड़चन पैदा रहती है तथा हर समय सीमा संमधी विवाद पक्षकारान में मध्य बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 23.01.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.19 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 01.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी

प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 397 रकबा 0.65 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 10 में अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 300/- अक्षरे तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा